प्रेस नोट **दिनांक 26.03.2021**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

06 लाख रूपये कीमत की (100 पेटी) अंग्रेजी शराब सहित बाद मुठभेड एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक केन्टर गाडी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1–नौबहार पुत्र नसीर निवासी एतमात सराय कोतवाली देहात बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण –

1–100 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा/अरूणाचल प्रदेश मार्का।

2–फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक केन्टर गाडी।

फरार अभियुक्त का नाम व पता –

1–प्रियम पुत्र विनोद निवासी कस्बा व थाना बागपत।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाना बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 25.03.2021 को समय करीब 20:40 बजे मुखबिर की सूचना पर महिला थाना चौराहा से बाद मुठभेड अभियुक्त **नौबहार पुत्र नसीर निवासी एतमात सराय कोतवाली देहात बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर** को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के **कब्जे से 100 पेटी अंग्रेजी शराब व तस्करी में प्रयुक्त फर्जी नम्बर प्लेट लगी एक केन्टर गाडी** बरामद की गई है। अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी हेतू प्रयास जारी है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बडौत पुलिस द्वारा हत्या में नामित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर व अवैध अस्लाह बनाने की फक्टी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1–राजकुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

1–हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर।

2–छः तमंचे 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस

3–आठ तमंचे 12 बोर मय 05 जिन्दा व 07 खोखा कारतूस।

4–एक देशी रायफल 315 बोर।

5–चार तमंचो की बॉडी।

6–छः अधबनी नाल 315 बोर।

7–तीन अधबनी नाल 12 बोर।

8–अवैध अस्लहा बनाने के उपकरण।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 26.03.2021 को समय करीब 12:30 बजे मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम बडौली से हत्या में नामित **अभियुक्त राजकुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत** को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के **से घटना में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर व अवैध अस्लाह बनाने की फक्टी बरामद की**

गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त ने दिनांक 21.03.2021 को अनुज पुत्र महकसिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता महकसिंह पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत की तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0स0 206/2021 धारा 302 भादवि बनाम राजकुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत पंजीकृत किया गया था।

थाना खेकडा पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर एक तमंचा 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
1–रोहित उर्फ मन्त्री पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम घिटोरा थाना खेकडा जनपद बागपत।
बरामदगी का विवरण –
1–एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस ।
आपराधिक इतिहास–
1–मु0अ0सं0 350/2018 धारा 395,397,412 भादवि थाना खेकडा।
2–मु0अ0सं0 258/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा।
3–मु0अ0सं0 001/2019 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना खेकडा।
4–मु0अ0सं0 234/2019 धारा 307,353,332,216,147 भादवि थाना खेकडा।
5–मु0अ0सं0 117/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा।
6–मु0अ0सं0 480/2020 धारा 307 भादवि थाना खेकडा। (ईनाम)
7–मु0अ0सं0 254/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 25.03.2021 को समय करीब 20:30 बजे मुखबिर की सूचना पर रटोल नहर पुलिया से नंगला बढी तिराहे के पास से 25 हजार रूपये के ईनामी अभियुक्त **रोहित उर्फ मन्त्री पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम घिटोरा थाना खेकडा जनपद बागपत** को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदेही पर एनबीएस ईट भटटा जंगल ग्राम घिटोरा से एक तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उर्फ मन्त्री उपरोक्त थाना खेकडा के **मु0अ0सं0 480/2020 धारा 307 भादवि थाना खेकडा** में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

थाना रमाला पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना रमाला पुलिस–द्वारा दिनांक 25.03.2021 को जिला बदर होने के बाद भी अपने मकान पर निवास करते हुए अभियुक्त 1–कपिल पुत्र नरेश निवासी ग्राम कण्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
थाना बालैनी पुलिस द्वारा 75 पव्वे देशी शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बालैनी पुलिस–द्वारा दिनांक 25.03.2021 को हबीबपुर नंगला से अभियुक्त 1–सतेन्द्र पुत्र चेतन 2–राजेन्द्र पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम हबीबपुर नंगला थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 75 पव्वे देशी शराब यूपी मार्का नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बालैनी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बडौत पुलिस–द्वारा मु0अ0स0 115/2021 धारा 376डी,386 भादवि व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त इरशाद पुत्र आसमौहम्मद निवासी मौहल्ला पठानकोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना सिंघावली अहीर पुलिस–द्वारा मु0अ0स0 76/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र ओमदास निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।